

mail

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./नियमन/बी-6/नियम-2009/171/1269

भोपाल, दिनांक 13/05/2022

प्रति,

- 1 संयुक्त/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय(समस्त)
- 2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति(समस्त)

विषय:-कपास पर मण्डी फीस .50 पैसे के संबंध में।


संदर्भ:-मान. मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक/1306 दिनांक
06/04/2022 एवं सहपत्र

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। मान. मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से मान. मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, पर्यावरण विभाग का पत्र के साथ सेंधवा कार्टन एसोसिएशन का पत्र दिनांक 12/03/2022 संलग्न किया गया है जिसमें 50 पैसे प्रति सैकडा करने के संबंध में लेख किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

कृपया आपके संभाग अंतर्गत संबंधित सचिवों से कपास पर मण्डी फीस कम करने के संबंध में स्पष्ट अभिमत सहित अनुशंसा प्रस्ताव एक सप्ताह में मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(अपर संचालक महोदय के अनुमोदन से)


12/5/2022
संयुक्त संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल